

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 4/2024 (2024/9)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
बबली देवी पत्नी बाबूलाल जाति विश्णोई निवासी जम्भेश्वर नगर ग्राम कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1. लूंगा पुत्री मंगलाराम 2. सुखराम पुत्र मंगलाराम सभी जातियान राईका निवासीगण कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर। 3. तहसीलदार लूणी।

वाद बाबत बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-

- वादी की ओर से अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह।
- प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवड़ा।

दिनांक:-10.03.2026

:- : निर्णय :-

वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी/सामलाती कृषि भूमि ग्राम कांकाणी तहसील लूणी के खसरा नम्बर 608 रकबा 2.2096 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स विभाजन करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया। वाद में प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.09.2025 को जारी की गई एवं तहसीलदार लूणी को बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाड़ा प्रस्ताव पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/3168 दिनांक 24.10.2025 को पेश किया गया। वादीनी का भूमि के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज (जमाबंदी दिनांक 14.10.2025 से स्पष्ट) है। जिसके आधार पर वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	खातेदार का विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
	बबली देवी पत्नी बाबूलाल	608	0.7365	बारानी चतुर्थ	0.8166
	लूंगा पुत्री मंगलाराम	608	0.7365	बारानी चतुर्थ	0.8166
	सुखराम पुत्र मंगलाराम	608	0.7366	बारानी चतुर्थ	0.8167

उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकारान संयुक्त खातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

- : : आदेश : : -

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 14.10.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरतीम इन्द्राज करें। रहन हिस्से अनुसार दर्ज रखा जावे। बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं मौका फर्द दिनांक 14.10.2025 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हंसमुख कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी लूणी

**डिकी बमुकदमें दबतदाई**  
**ओर्डर 21 रूल 6,-7 जाब्ता दीवानी**

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर  
 पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

स्व वाद संख्या : 4 / 2024 (2024 / 9)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
बबली देवी पत्नी बाबूलाल जाति विश्णोई निवासी जम्भेश्वर नगर ग्राम कंकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1.लूंगा पुत्री मंगलाराम 2.सुखराम पुत्र मंगलाराम सभी जातियान राईका निवासीगण कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर। 3.तहसीलदार लूणी।

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बंटवाड़ा प्रस्ताव का पेश किया गया। यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरुबरु हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -

अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 14.10.2025 के अनुसार विभाजन कर वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरतीम इन्द्राज करें।

निज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें में मय सूद व वगैरह .....  
 फीसदी सलाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करे।

बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 10.03.2026 जारी की गई।



सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्दाई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अरीजी दावा	स्टाम्प	/	स्टाम्प अरीजी दावा	स्टाम्प	/
वकालतनामा		/	वकालतनामा		/
स्टाम्प वजह सबूत		/	स्टाम्प वजह सबूत		/
महनताना वकील		/	महनताना वकील		/
खर्चा गवाहान		/	खर्चा गवाहान		/
फिस कमिश्नर		/	फिस कमिश्नर		/
बाबतइजराय हुक्मनामा		/	बाबतइजराय हुक्मनामा		/
मुतफरिंक मीजान		/	मुतफरिंक मीजान		/

सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, लूणी